

राजस्थान राजपत्र विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

वैशाख 12, गुरुवार, शाके 1946-मई 02, 2024 Vaisakha 12, Thursday, Saka 1946- May 02, 2024

भाग 5 (घ)

औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये निर्णय। श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 15, 2024

संख्या एफ.14(11)(1)श्रम/विधि/2017 :-राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 (1958 का अधिनियम 31) की धारा 3 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद्वारा अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों को उक्त अधिनियम की धारा 12(1) के प्रावधान (दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान को सप्ताह में एक दिन बन्द रखने) से इस अधिसूचना के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से तीन वर्ष की अविध के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन छूट प्रदान करती है:-

- 1. नियोजक द्वारा सभी नियोजित कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन, बारी-बारी से, सवैतनिक साप्ताहिक अवकाश दिया जावेगा।
- 2. नियोजित कर्मचारियों के कार्य के घण्टे प्रतिदिन 9 घण्टे तथा साप्ताहिक 48 घण्टे होंगे। यदि कर्मचारियों से निर्धारित कार्य समयाविध से अधिक कार्य लिया जाता है तो उसका रिकार्ड पृथक से संधारित किया जावेगा।
- 3. नियोजित प्रत्येक कर्मचारी से अधिसमय कार्य करवाये जाने पर मजदूरी का भुगतान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा।
- 4. सभी नियोजित कर्मचारियों को नियोजक द्वारा निय्कित पत्र दिया जावेगा।
- 5. यह छूट केवल दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान के लिए है, कर्मचारी अधिनियम की समस्त धाराओं के तहत देय लाभों को प्राप्त करते रहेंगे।
- 6. यह छूट उपरोक्त शर्तों की नियोजक द्वारा अनुपालना किये जाने तथा इस सम्बंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अध्यधीन रहेगी।
- 7. किसी दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान द्वारा उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर दी गई उक्त छूट स्वतः समाप्त मानी जावेगी तथा नियोजक इसके परिणामस्वरूप उक्त धारा एवं अन्य कानूनों के अंतर्गत विधिसम्मत कार्यवाही के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

	राज्यपाल के आदेश से,
	धर्मपाल सिंह,
	अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं,
	पदेन संयुक्त शासन सचिव।
06	